

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0/निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2026/354

लखनऊ: दिनांक: 18-04-2026

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् 30प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु समय-सारिणी व शासनादेश निर्गत किये के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप/परिषद/2025/5914, दिनांक: 09.12.2025 (संलग्न 01) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद कार्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0/निजी क्षेत्र की संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदनों को परिषद स्तर से समाज कल्याण के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रसारित किये जाने हेतु अभिलेख परिषद कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अवगत कराना है कि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र सं0: 1/417901/2026/ई-शुल्क प्रतिपूर्ति-2025-26, दिनांक: 13.01.2026 तथा प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र0 शासन के पत्र सं0: 1/1203576/2026/16-3099/22/2019, दिनांक: 12.01.2026 के साथ समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र सं0: 195/2025/3484/26-3-2025-1741062, दिनांक: 24.12.2025 एवं संख्या: 194/2025/3483/26-3-2025-1513982, दिनांक: 24.12.2025 की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्न 02)

उक्त के क्रम में परिषद कार्यालय द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0/निजी क्षेत्र की संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदनों को परिषद स्तर से समाज कल्याण के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रसारित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तृतीय चरण में संस्था द्वारा अग्रसारित किये गये छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन को परिषद स्तर से समाज कल्याण के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रसारित किये जाने हेतु निम्नलिखित अभिलेख


1. परिषद द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र।
2. छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर लॉक किये गये मास्टर डाटा के प्रमाण-पत्र (Certificate) की सत्यापित प्रति।
3. पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप-1 पर छात्र/छात्राओं का ब्रांचवार एवं वर्षवार विवरण।
4. छात्र/छात्राओं के आनलाइन अग्रसारित किये गये आवेदनों की सत्यापित सूची प्रारूप-1 के अनुसार।
5. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर एनरोलमेन्ट सूची की प्रमाणित प्रति।
6. राजकीय संस्थाओं के इतर समस्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति 2025-26 हेतु नोटरी शपथ पत्र (रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर)/राजकीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र (Undertaking)।

दिनांक: 22.04.2026 तक परिषद कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती

जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक/प्रबंधन का होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(डॉ० संतोष कुमार सिंह)


सचिव

तददिनांक: 18-04-2026

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2026/355-57

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।


(डॉ० संतोष कुमार सिंह)

सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2025/5914

लखनऊ: दिनांक: 09/12/2025

विषय: सत्र 2025-26 हेतु परिषद कार्यालय के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर किये गये आवेदनों को अग्रसारित किये जाने विषयक।

महोदय;

कृपया, सादर अवगत कराना है कि परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन आप द्वारा समाज कल्याण के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर अग्रसारित किये गये हैं। छात्र/छात्राओं के उक्त आवेदनों को परिषद स्तर से भी समाज कल्याण के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रसारित किया जाना है। इस हेतु निम्न अभिलेखों की आवश्यकता है:-

1. परिषद द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र।
2. छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर लॉक किये गये मास्टर डाटा के प्रमाण-पत्र (Certificate) की सत्यापित प्रति।
3. पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप-1 पर छात्र/छात्राओं का ब्रांचवार एवं वर्षवार विवरण।
4. छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन अग्रसारित किये गये आवेदनों की सत्यापित सूची प्रारूप-1 के अनुसार।
5. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर एनरोलमेन्ट सूची की प्रमाणित प्रति।
6. राजकीय संस्थाओं के इतर समस्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति 2025-26 हेतु नोटरी शपथ पत्र (रु० 100/- के स्टाम्प पेपर पर)/राजकीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र (Undertaking)।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक: 12.12.2025 तक प्रत्येक दशा में उपरोक्त अभिलेखों को परिषद कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, जिस कारणवश इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। यदि आप द्वारा उपरोक्त कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो आपकी संस्था के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)

सचिव

पू०सं०: प्राशिप/परिषद/2025/5915-16

तददिनांक: 09/12/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)

सचिव

प्रारूप-1

संस्था का कोड व नाम:

क्र० सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम का वर्ष	अनुमोदित कुल सीटों की संख्या	अग्रसारित किये गये आवेदनों का विवरण					
				OBC	SC	ST	Minority	General	Total
1.	ब्रांच का नाम:	प्रथम:							
		द्वितीय:							
		अंतिम:							
2.	ब्रांच का नाम:	प्रथम:							
		द्वितीय:							
		अंतिम:							

संस्था के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नोडल अधिकारी का

नाम:

पदनाम:

मोबाइल नं०:

ई-मेल आई.डी.:

संस्था प्रधानाचार्य/

निदेशक ह० मुहर सहित

नाम:

पदनाम:

मोबाइल नं०:

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति 2025-26 हेतु नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप (रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मैं शपथी (नाम) (पदनाम)

..... संस्था का कोड व नाम शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ।

1. छात्रवृत्ति हेतु योजनान्तर्गत अग्रसारित किये गये आवेदन की सूची में अंकित छात्र/छात्राएं जो परिषद कार्यालय में पंजीकृत एवं संस्था में अध्ययनरत है।
2. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन का विधिवत परीक्षण/मिलान कर लिया गया है। भरी गयी सभी प्रविष्टि सही एवं त्रुटिरहित है।
3. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जारी गाइड लाइन के अनुसार परिषद कार्यालय में पंजीकृत केवल पात्र छात्र/छात्राओं का ही आवेदन अग्रसारित किया गया है।
4. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केवल उन्हीं पात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन अग्रसारित किया गया है, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना अथवा अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना में आवेदन नहीं किया है।
5. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत किसी अपात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन अग्रसारित नहीं किया गया है।

ह0 (मुहर सहित)
प्रधानाचार्य/
निदेशक

7973
14.01.2026प्राधिकृत
6/01/26

महत्वपूर्ण/ई-मेल

उपस्थान-यव प्रेषक,

14/01/2026
सेवा में,निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0/निजी पॉलीटेक्निक संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-I/417901/2026 /ई-शुल्क प्रतिपूर्ति-2025-26 दिनांक:13-01-2026

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्य हेतु समय-सारिणी व शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-I/1203576/2026/16-3099/22/2019, दिनांक 12.01.2026 के साथ संलग्न समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-195/2025/3484 /26-3-2025-1741062 दिनांक-24.12.2025 एवं संख्या-194/2025/ 3483/26-3-2025-1513982 दिनांक-24.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

अवगत कराना है कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के उपरोक्त संदर्भित दोनों पत्रों दिनांक 24.12.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्य हेतु समय-सारिणी व शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by
KAMLESH MANI
Date: 13-01-2026
19:18:09
(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त निजी संस्थाओं

को अपने स्तर से उपरोक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

संख्या-I/1203576/2026/16-3099/22/2019

प्रेषक,

बाबूराम वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक-12-01-2026

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवसी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुक्ल प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु समय-सारिणी व शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-195/2025/ 3484 /26-3-2025-1741062 दिनांक-24.12.2025 एवं संख्या-194/2025/ 3483/26-3-2025 - 1513982 दिनांक-24.12.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by

BABURAM VERMA

Date: 12-01-2026

18:38:26

(बाबूराम वर्मा)

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक लदैव

प्रतिलिपि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-195/2025/3484/26-3-2025-1741062 दिनांक-24.12.2025 एवं संख्या-194/2025/3483/ 26-3-2025-1513982 दिनांक-24.12.2025 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बाबूराम वर्मा)

अनु सचिव।

संख्या-194/2025/3483/26-3-2025-1513982

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

ट्रिप्लेण्ड,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

0438/ACST/ET/28 उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-3314-16/स०क०/शिक्षा-अ/2025-26 दिनांक 22.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

26/12/2025
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-119/2025/1400/26-3-2025-1513982 दिनांक 18.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- कतिपय जनपदों के संस्थान/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से मास्टर डाटा लॉक नहीं किया जा सका है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं (कक्षा-12 से ऊपर) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही		
1	<p>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</p> <p>प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना।</p> <p>बाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय /शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना।</p> <p>मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व बाह्य प्रदेश) द्वारा</p>	23 दिसम्बर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक

26.12.2025
(अनिल कुमार गार्ग)
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

4353/VSTE/25
J.S.

29/12/25

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन

So-3

29/12/25

29/12/25

	पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 09 जनवरी, 2026 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
4	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन	10 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026
5	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 03 अप्रैल, 2026 तक
6	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	06 अप्रैल, 2026 तक
7	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 16 अप्रैल, 2026 तक
प्रथम चरण		
8	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक
9	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर 2025 तक

10	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 26 दिसम्बर, 2025 तक
11	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	26 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
12	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	15 जनवरी, 2026 तक
13	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	24 जनवरी, 2026 तक
द्वितीय चरण		
14	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 27 जनवरी, 2026 तक
15	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	28 जनवरी, 2026 से 07 फरवरी, 2026 तक
16	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	28 जनवरी, 2026 से 09 फरवरी, 2026 तक
17	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	10 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक
18	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	18 फरवरी, 2026 तक
19	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	19 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक

20	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 मार्च, 2026 तक
21	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	13 मार्च, 2026 तक
22	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैण्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	18 मार्च, 2026 तक
तृतीय चरण		
23	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 अप्रैल, 2026 तक
24	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा र्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	17 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक
25	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	17 अप्रैल, 2026 से 28 अप्रैल, 2026 तक
26	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	29 अप्रैल, 2026 से 06 मई, 2026 तक
27	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	29 अप्रैल, 2026 से 13 मई, 2026 तक
28	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	14 मई, 2026 से 21 मई, 2026 तक

29	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देशास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 जून, 2026 तक
30	माँग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	15 जून, 2026 तक
31	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	22 जून, 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
- 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।
उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आश्विन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लागिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 7- किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान,

विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

8-सम्बन्धित हितधारकों के लिए रिसेट का विकल्प अंतिम तिथि के सायंकाल 06:00 बजे तक लागू रहेगा।

- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छानाओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 24-12-2025
18:08:20 वेकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव।

प्रोसो एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 24-12-2025
18:08:27 अनु सचिव।

17/दिसंबर - 3-2026

संख्या-195/2025/3484/26-3-2025-1741061

प्रेषक,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ०प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

0439/ACSE/18 उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3317-19/स०क०/शिक्षा-अ/2025-26 दिनांक 22.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

26/12/2025
(राजेंद्र प्रताप)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-115/2025/1370/26-3-2025-1741061 दिनांक 10-06-2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में (राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों के केवल सामान्य वर्ग के छात्र) संचालित शिक्षण संस्थाओं (उच्च कक्षाओं) द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

895/515/16
53 (V)

3- कतिपय जनपदों के संस्थान / विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी स्तर से मास्टर डाटा लॉक नहीं किया जा सका है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

Overms.

26.12.2025
(अनिल कुमार वर्मा)
निजी सचिव, श्रेणी-3
अपर मुख्य सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

4353/VSE/25
J.S.

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। बाह्य प्रदेश (सामान्य वर्ग) में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व बाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक

29/12/25
(विनोद कुमार)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन

So-3
92
29/12/25

29/12/25

2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 09 जनवरी, 2026 तक
3	मास्टर डाटा का सत्यापन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य के मास्टर डाटा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक किया जायेगा। राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लॉक की गयी फीस की सीमा के अर्धन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक
4	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	10 जुलाई, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
5	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन	10 जुलाई, 2025 से 14 जनवरी, 2026 तक
6	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 17 जनवरी, 2026 तक
7	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	21 जनवरी, 2026 तक
8	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 27 जनवरी, 2026 तक
प्रथम चरण		
9	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक
10	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक

11	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 26 दिसम्बर, 2025 तक
12	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	26 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
13	माँग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	15 जनवरी, 2026 तक
14	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	24 जनवरी, 2026 तक
द्वितीय चरण		
15	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 27 जनवरी, 2026 तक
16	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	28 जनवरी, 2026 से 07 फरवरी, 2026 तक
17	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	28 जनवरी, 2026 से 09 फरवरी, 2026 तक
18	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	10 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक
19	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	18 फरवरी, 2026 तक
20	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	19 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक

21	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 मार्च, 2026 तक
22	माँग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	13 मार्च, 2026 तक
23	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैच बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	18 मार्च, 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
- 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/ प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।
उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आप्शन चुनकर आवेदन को प्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लागिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 7- किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/

एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

8- सम्बन्धित हितधारकों के लिए रिसेट का विकल्प अंतिम तिथि के सायंकाल 06:00 बजे तक लागू रहेगा।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनसार तृतीय तर्ष/शैक्षिक प्रश्न 2025-26 में प्रशासनात्मक कार्रवाई को तत्पश्चात् उक्त कक्षाओं में प्रशासनात्मक उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 24-12-2025
18:04:30 वेकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव।

पु0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 24-12-2025
18:07:25 अनु सचिव।